न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 01/20 अपील पंचायत

दलबीरसिंह पुत्र ठाकुरसिह जाति मेघवाल निवासी चक 1बीडी शिवनगर तहसील पूगल जिला बीकानेर

—अपीलाण्ट

: ब ना म :

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायती राज (चुनाव) नियम 1994

उपस्थितिः—

1. श्री सत्यपाल सिंह शेखावत, अधिवक्ता— अपीलाण्ट
2. विभागीय प्रतिनिधि — रेस्पोडेण्ट की ओर।

न्यायालय जिला कलेक्टर

: नि र्ण य :

दिनांक 24.02.2020

1. अपीलाण्ट द्वारा अपील विरूद्ध आदेश 13.01.2020 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पूगल के विरूद्ध प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलाण्ट का नाम चक 1 बीडी पंचायत वृत शिवनगर वार्ड सं. 8 तहसील पूगल में सम्मिलित करने के आदेश दिये जावे।
2. प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ कार्यालय का रिकार्ड तलब किया गया।
3. तदन्तर उभयपक्ष की गुणावगुण पर बहस सुनी गयी।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा तहसील पूगल के पंचायत वृत्त शिवनगर के वार्ड सं. 8 की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन के साथ पूर्व निर्वाचक नामावली से नाम हटाये जाने के एनओसी प्रगणक की रिपोर्ट की आवेदक का नाम जोड़ना उचित है, प्रस्तुत करने के बावजूद आवेदन पत्र दिनाक 13.01.2020 को अस्वीकार कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ एक पक्षीय बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये राजनैतिक द्वेषता के कारण बिना माईण्ड अप्लाई किये। अपीलाण्ट को संवैधानिक अधिकारो से वंचित करने की गरज से पारित किया होने से काबिले ईखराजी है। अपील अपीलाण्ट बाद जानकारी अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। कृपया अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि आवेदक ने निर्धारित प्रारूप सं. 1 के कॉलम सं. 3 तथा 4 में वांछित जानकारी का हवाला नहीं दिया है। प्रारूप सं. 1 के संबध में श्री बाबूसिंह पुत्र दीपसिंह द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी बीकानेर का निवासी है। ग्राम पंचायत शिवनगर में कृषि भूमि है। किन्तु रिहायश नहीं है। ग्राम पंचायत में निवासी करने का पुख्ता साक्ष्य प्रारूप के संलग्न नहीं होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियांद अधिनियम के विरूद्व रेस्पोडेण्ट की ओर से काउण्टर प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व की निर्वाचक नामावली से नाम हटाये जाने के एनओसी संलग्न करते हुए अपीलाण्ट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था । आवेदन पत्र पर प्रगणक की स्पष्ट रिपोर्ट कि नाम जोड़ना उचित है, पर रेस्पोडेण्ट द्वारा नियमो के परिपेक्ष्य में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है। पूर्व की निर्वाचक नामावली से नाम हटाये जाने के बाद आवेदक जहां निवास करता है व जहां नाम जुड़वाना चाहता है। उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। आवेदक को उसके संवैधानिक अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित पाते है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2020 निरस्त करते हुए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीरकण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पूगल को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलाण्ट के आवेदन पत्र की पुनः जांच कर नियमो के परिपेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही संपादित करे।

8. निर्णय आज दिनांक **24.02.2020** को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर